न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 79/2017 (उदयपुर डिकी)

भंवरलाल महाजन मुतबन्ना उम्मेदी बाई पत्नी दीपचन्द महाजन, निवासी जगत, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. भीमराज पिता जवेरचन्द महाजन, जाति जैन, निवासी जगत, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. पती बाई उर्फ परी बाई पिता जवेरचन्द पत्नी चम्पालाल जैन, निवासी दांतीसर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिकी उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 20.05.2014 प्र.सं. 331/11

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री एल0 एल0 जैन अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री धनसिंह सिसोदिया अभिभाषक रे. सं. 1
3. श्री मनोहरसिंह अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 2
4. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभि. रे.सं. 3

———:::———

निर्णय दिनांक

25–09–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी की वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कुल किता 14 रकबा 2.4600 हैक्टर भूमि ग्राम जगत में स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा वह दीपचन्द जी के गोद चला गया है, किन्तु विरासत के नामान्तरकरण में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम अंकित हो जाने से वह विवादित भूमि विकय करने पर आमादा है। अतः निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित भूमियों से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार घोशित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वोकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 20–05–2014 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27–06–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री धनसिंह सिसोदिया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री मनोहरसिंह उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 औपचारिक पक्षकार सरकार की ओर से राजकीय अभिभाशक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के आवेदन के साथ कुछ रसीदे प्रस्तुत की गयी हैं, जो राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां होने से न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के सम्मन की तामिल उसे नहीं हुई है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने उसे बिना सुने निर्णय पारित

किया है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी उसे दिनांक 20–05–2017 को हुई। अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाशक ने बताया कि प्रार्थी को विधिवत तामिल हुई है, फिर भी वे अधिनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहें हैं। अपील जानबूझकर कर विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20–05–2014 के मियाद की अवधि 60 दिवस होती है अर्थात अपील इस न्यायालय में दिनांक 19–07–2014 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, जबकि यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27–06–2017 को अर्थात करीब 3 वर्श विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं 3 वर्श के विलम्ब के लिए जो कारण द”ार्ाये गये हैं व न तो उचित हैं न ही पर्याप्त। जबकि देरी के मामले में प्रत्येक दिन हुई देरी को स्पश्ट किया जाना आव”यक होता है। तद्नुसार अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–05–2014 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25–09–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

# डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

**(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)**

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ..... .....

भंवरलाल महाजन मुतबन्ना उम्मेदीबाई पत्नी दीपचन्द महाजन, निवासी जगत तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

भीमराज पिता जवेरचन्द महाजन निवासी जगत, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं॰.....79/2017.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....गिर्वा..... मुकाम.....मुवर्खे.....09.....माह.....05..... .....2019

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....25....माह.....09.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी.....श्री एल.एल. जैन .....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री धनसिंह सिसोदिया

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–05–2014 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....25.....माह.....09... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... .....<br>.<br>2. स्टाम्प वकालत नामा<br>..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी .....<br>..... | | |
| 3. इजराय हुक्मनामा ..<br>.....<br>4. वकील फीस बाबत ....<br>.....<br>मीजान<br>..... | | | 3. इजराय हुक्मनामा .<br>....<br>4. मेहनताना वकील.....<br>.....<br>मीजान .<br>.... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।